

2023/165

13/6/23  
27/6/23

बोम्बे स्टेशनरी, माडल नं. 230289  
ता. पेकी स्टेशनरी

राजस्थान सरकार

( कायदा - 129 )

जनरल रुल्स सिविल रुल्स 129 अपेन्डिक्स फार्म नम्बर 8 के  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया जिला-भीलवाड़ा (राज.)

क्रिम मुकरमा 1	नम्बर मुकदमा 2	बारोब दायर 3	तारीख फंसबा 4	फंसबा कमी 5
111-128	26/23	30/5/2023	20/2/24 <del>20/2/24</del>	

अनमान

श्री जोगल शंकर मन्नालाल श्री प्रबुलाल शंकर जीतमल  
 श्री जाति धारक श्री जाति धारक  
 निवासी उम्मेदपुरा तह. बिजौलिया निवासी उम्मेदपुरा तह. बिजौलिया

अधिकारता वादी / प्रार्थी / अपीलान्त

अधिकारता वादी / प्रार्थी / अपीलान्त

गौरव शर्मा (3)

डिक्रीदार

रेस्पॉन्डेंट / अवयुनाथ

शंकर धारक

श्री ...

# FORM NO. III

## फर्द अहकम

(नियम 26)

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

बिजौलियां





गोपाल

बनाम

प्रभुबाल

किरम मुकदमा - 111-128

नम्बर 126 / 2023

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
30/5 / 2023	<p>प्रार्थना पत्र सीगे से वाद जांच पेश हुआ। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र जारी हों। पत्रावली वास्ते तलबी/जवाब दिनांक 13/06/2023 को पेश हों।</p> <p style="text-align: right;">   <b>उपखण्ड अधिकारी</b>  <b>बिजौलियां जिला-भीलवाडा</b> </p>	
13/6/23	<p>पत्रावली पेश हुई। अभियोगक वादी/पक्षिक उपस्थित श्रीमान P.O. सा. दोरे पर हैं। पत्रावली दिनांक 27/6/23 को वास्तुजवाब पेश हों।</p> <p style="text-align: right;">   <b>उपखण्ड अधिकारी</b> </p>	
27/06/23	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता पार्टी उपस्थित। विपक्षी संख्या (3) की भौर से अधिवक्ता गौख शर्मा ने अधिकार पत्र पेश किया। विपक्षी 1 एवं 2 की भौर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। विपक्षी 1 एवं 2 की वे विरुद्ध एक पक्षीय आदेश जारीत किए गए। पत्रावली वास्ते जवाब (अधिकार पत्र) दिनांक 04/07/23 को पेश हों।</p> <p style="text-align: right;">   <b>उपखण्ड अधिकारी</b>  <b>बिजौलियां जिला-भीलवाडा</b> </p>	113
11/7/23	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। पत्रावली वास्ते जवाब (अधिकार पत्र) दिनांक 14/07/2023 को पेश हों।</p> <p style="text-align: right;">   <b>उपखण्ड अधिकारी</b> </p>	

# FORM NO. III

## फर्द अहकम

(नियम 26)

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

बिजौलियां





गोपाल

बनाम

प्रफुल्ल

किस्म मुकदमा - 111-128

नम्बर 126 / 2023

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
30/5 /2023	<p>प्रार्थना पत्र सीगे से बाद जांच पेश हुआ। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र जारी हों। पत्रावली वास्ते तलवी/जवाब दिनांक 13/06/2023 को पेश हों।</p> <p style="text-align: right;">   <b>उपखण्ड अधिकारी</b>  <b>बिजौलियां जिला-भीलवाडा</b> </p>	
13/6/23	<p>पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक गदी/पत्रावली उपस्थित श्रीमान P.O. सा. दौरे पर हैं। पत्रावली दिनांक 27/6/23 को वास्ते जवाब पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">   <b>उपखण्ड अधिकारी</b> </p>	
27/06/23	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता पार्टी उपस्थित विपक्षी खेब्या (3) की मॉर से अधिवक्ता गौरव शर्मा ने अधिकार पत्र पेश किया। विपक्षी 1 एवं 2 की मॉर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। विपक्षी 1 एवं 2 की वे विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित किए गए। पत्रावली वास्ते जवाब (अधिकार पत्र) दिनांक 04/07/23 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">   <b>उपखण्ड अधिकारी</b>  <b>बिजौलियां जिला-भीलवाडा</b> </p>	113
11/7/23	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उक्रयपक्ष उपस्थित। पत्रावली वास्ते जवाब (अधिकार पत्र) दिनांक 14/07/2023 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">   <b>उपखण्ड अधिकारी</b> </p>	

11/7/23 प्रात्रवली पेश हुई। अधिवक्ता विपक्षी आदेश अनुसार  
चाहते हैं। प्रात्रवली वास्ते निर्णय दिनांक 18/7/23 को पेश  
हो।

18/7/23 प्रात्रवली पेश हुई। अधिवक्ता विपक्षी आदेश अनुसार  
प्रात्रवली वास्ते निर्णय दिनांक 23/8/23 को पेश हो।

25/8/23 प्रात्रवली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी  
उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रवली  
दिनांक 29/9/23 को वास्ते निर्णय पेश हो।  
उप खण्ड अधिकारी  
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

20/9/23 प्रात्रवली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित।  
प्रात्रवली वास्ते निर्णय दिनांक 12/12/23 को पेश  
हो।

12/12/23 प्रात्रवली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी  
उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रवली  
दिनांक 21/1/24 को वास्ते निर्णय पेश हो।  
उप खण्ड अधिकारी  
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

2/1/24 प्रात्रवली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित।  
प्रात्रवली वास्ते निर्णय दिनांक 30/1/24 को पेश  
हो।

उप खण्ड अधिकारी  
आयालय, उप खण्ड, जिला-भीलवाड़ा  
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

30/1/24 प्रात्रवली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी  
उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रवली  
दिनांक 29/2/24 को वास्ते निर्णय पेश हो।  
उप खण्ड अधिकारी

28/2/24 प्रात्रवली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित।  
प्रात्रवली में निर्णय करने कायदा में सुनवाई  
कायदा एवं पृष्ठ के लेख वाक्यांश सुनाया  
हो कठ होकर पारित करवाया है। प्रात्रवली को  
उप खण्ड अधिकारी

उप खण्ड अधिकारी  
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

५१-तारीख ३०/५/२३

प्रकरण संख्या :- 126/23

अनवान

गोपाल पुत्र मन्नालाल जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी उम्मेदपुरा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0) .....प्रार्थी

बनाम

01. प्रभूलाल पुत्र जीतमल जाति धाकड उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी उम्मेदपुरा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
02. हीरालाल पुत्र स्वरूपा जाति बंजारा उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी चम्पापुर तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
03. गोरू पुत्र मांगु जाति बंजारा उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी चम्पापुर तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0) .....विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 - 128 रा0ले0रे0एक्ट

-: आदेश :-

दिनांक: २०/२/२४

प्रार्थना पत्र गोपाल पुत्र मन्नालाल जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी उम्मेदपुरा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0) ने जरिये अभिभाषक श्री रामफूल धाकड प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते भूमि ग्राम आटी पटवार हल्का गुड़ा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में स्थित खाता संख्या 139 पर अंकित आराजी संख्या 484/1 रकबा 0.8094 हैक्टेयर भूमि पर विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते है। अतः पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावे साथ में प्रार्थना पत्र की तार्ईद में शपथपत्र संलग्न है।


प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2074-2077 के अवलोकन से प्रार्थीया वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार है। पड़ौसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढ़ी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू-अभिलेख निरीक्षक कांस्या को पत्थरगढ़ी बाबत् कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस नियमानुसार वक्त मौका प्रार्थी अदा करें।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया जाकर ग्राम आटी पटवार हल्का गुड़ा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में स्थित खाता संख्या 139 पर अंकित आराजी संख्या 484/1 रकबा 0.8094 हैक्टेयर भूमि बशामलात पड़ौसियान के पत्थरगढ़ी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढ़ी शुल्क राशि 100/- रुपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावे।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया

  
उप खण्ड अधिकारी  
बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या -  
126

तारीख

प्रेषिति :-

तहसीलदार  
बिजौलियाँ

विषय :-प्रकरण संख्या .....126...../2023 पत्थरगढी बाबत।


गोपाल पुत्र मन्नालाल जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी उम्मेदपुरा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0) .....प्रार्थी

**बनाम**

01. प्रभूलाल पुत्र जीतमल जाति धाकड उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी उम्मेदपुरा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
02. हीरालाल पुत्र स्वरूपा जाति बंजारा उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी चम्पापुर तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
03. गोरू पुत्र मांगु जाति बंजारा उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी चम्पापुर तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0) .....विपक्षीगण

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवानी प्रकरण में आदेश होकर लेख है कि ग्राम आटी पटवार हल्का गुढ़ा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में स्थित खाता संख्या 139 पर अंकित आराजी संख्या 484/1 रकबा 0.8094 हैक्टेयर भूमि की बशामलात पडौसीयान के पत्थरगढी की जावे। मौके पर पत्थरगढी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जरिये पत्थरगढी कब्जा नहीं हटाया जावे तथा समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। आदेश पत्थरगढी हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक कांस्या को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस नियमानुसार वक्त मौका प्रार्थी अदा करे। पत्थरगढी करने से पहले विपक्षीगणों एवं पडौसीयान को सुचित करते हुए पत्थरगढी करें। पत्थरगढी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे।



  
उपखण्ड अधिकारी  
उप खण्ड अधिकारी  
बिजौलियाँ  
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

क्रमा संख्या -  
म/ब/क

तारीख

प्रेषिति :-

तहसीलदार  
बिजौलियाँ

विषय :- प्रकरण संख्या ..... 126 ..... / 2023 पत्थरगढ़ी बाबत।

गोपाल पुत्र मन्नालाल जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी उम्मेदपुरा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0) ..... प्रार्थी

बनाम

01. प्रभूलाल पुत्र जीतमल जाति धाकड उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी उम्मेदपुरा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
02. हीरालाल पुत्र स्वरूपा जाति बंजारा उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी चम्पापुर तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
03. गोरू पुत्र मांगु जाति बंजारा उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी चम्पापुर तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0) ..... विपक्षीगण

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवानी प्रकरण में आदेश होकर लेख है कि ग्राम आटी पटवार हल्का गुढा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में स्थित खाता संख्या 139 पर अंकित आराजी संख्या 484/1 रकबा 0.8094 हैक्टेयर भूमि की बशामलात पडोसीयान के पत्थरगढ़ी की जावें। मौके पर पत्थरगढ़ी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जरिये पत्थरगढ़ी कब्जा नहीं हटाया जावे तथा समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। आदेश पत्थरगढ़ी हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक कांस्या को कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमिश्नर फीस नियमानुसार वक्त मौका प्रार्थी अदा करे। पत्थरगढ़ी करने से पहले विपक्षीगणों एवं पडोसियान को सूचित करते हुए पत्थरगढ़ी करें। पत्थरगढ़ी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे।

  
उपखण्ड अधिकारी  
बिजौलियाँ

